न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 66/2024
दायरी दिनांक 27.08.2024

1.प्रेम प्रकाश पुत्र सांवरमल जाति मेघवाल निवासी वार्ड संख्या 10, बिसाऊ रोड, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज)

2 हिरालाल गहरिया पुत्र सांवरमल जाति मेघवाल निवासी वार्ड संख्या 10. बिसाऊ रोड, मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज)

प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

अप्रार्थीप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 22.05.2025

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 692 के वर्तमान खसरा नम्बर 1574 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 1575 रकबा 1.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1585 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 1586 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा नम्बर 1587 रकबा 2.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 1633 रकबा 0.21 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 5.45 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जो कि प्रार्थीगण के पिता सावरमल व अन्य सह खातेदारों की खातेदारी एवं काश्तकारी की भूमि है।यह कि प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण के पिता सांवरमल की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है जिनमें उनका 1/3 हिस्सा है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी के पिता के स्वर्गवास होने केबाद जब प्रार्थीगण वाद पत्र की धारा में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकल निकलवाई तो उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम सांवलराम दर्ज होने की जानकारी हुई जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम सांवरमल है। इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्थ रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम सांवरमल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। प्रार्थी ने अपने पिता के स्वर्गवास के बाद फौती नामांतकरण जर्द करवाने हेतु दिनांक 9/7/2024 को राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो प्रार्थीगण को उक्त गलत राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई है। इसलिए प्रार्थना पत्र की धारा 1 में दर्ज भूमि का राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें। प्रार्थीगण अपने पिता के नाम के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे है।वाद कारण दिनांक 9/7/2024 को प्रार्थी द्वारा उक्त राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर उक्त राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के पिता का गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण ने तहसीलदार महोदय मण्डावा से सम्पर्क किया तो तहसीलदार महोदय मण्डावा ने सक्षम न्यायालय के आदेश के बगैर रिकार्ड दुरूस्त करने से मना करने के कारण श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वाके ग्राम मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में अवस्थित भूमि हाल खाता संख्या 692 के वर्तमान खसरा नम्बर 1574 रकबा 0.84 हैक्टर, खसरा नम्बर 1575 रकवा 1.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 1585 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 1586 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

20 हैक्टर, खसरा नम्बर 1587 रकबा 2.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 1633 रकबा 0.21 हैक्टर कुल किता 6 कुल रकबा 5.45 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करते हुवे प्रार्थीगण के पिता का नाम सांवलराम की जगह प्रार्थीगण के पिता का सही नाम सांवरमल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये। तहसीलदार मण्डावा द्वारा रिपोर्ट पेश की ग्राम मण्डावा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता नः 692 में प्रार्थी के पिता का नाम सावंलराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थी के पिता नाम सांवलराम के स्थान पर सांवरमल किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वाके ग्राम मण्डावा के राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 692 में प्रार्थी के पिता का नाम सावलराम दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात एवं तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी केपिता का वास्तविक नाम सांवरमल है। अतः तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है।

निर्णय

अतः ग्राम मण्डावा के खाता संख्या 692 में दर्ज प्रार्थी के पिता नाम सांवलराम पुत्र बेगाराम के स्थान पर सांवरमल पुत्र बेगाराम कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है।पालनार्थ तहरीर तहसीलदार मण्डावा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा